

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 487
ANSWERED ON-02/12/2021

VACANCY IN ASI

487. SHRI SAMBHAJI CHHATRAPATI:

Will the Minister of CULTURE be pleased to state:

- (a) whether 30 per cent of posts under various grades are vacant which must be at the cost of responsibilities attached to Archeological Survey of India (ASI);
- (b) if so, the details of vacant posts falling under promotion and direct recruitment quota, post-wise;
- (c) the time period by which promotion quota posts under each category are likely to be filled; and
- (d) the reasons for keeping the promotion quota posts vacant when DOP&T 2017 guidelines exist to undertake an exercise to draw a panel of departmental officers through DPC in anticipation of vacancies in the preceding year itself for timely promotion of departmental officers?

ANSWER

THE MINISTER OF CULTURE, TOURISM AND DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(SHRI G. KISHAN REDDY)

- (a) (i) Under promotion quota 5 per cent posts are vacant.
- (ii) 30 per cent posts are vacant under Direct Recruitment quota which are done through UPSC/SSC.
- (b) & (c) The details of vacant posts falling under promotion and direct recruitment quota post-wise are at Annexure.
- (d) Posts in promotion quota are lying vacant as officers are not eligible for promotion since they have not completed the requisite qualifying service.

**Annexure to reply (b) & (c) of Rajya Sabha Unstarred Question No. 487
for 02.12.2021**

Name of the post	Total Vacant posts		Time Period	
	DR	Promotion		
Archaeology Cadre	Jt. DG	03	-	(i) Departmental promotion is a regular exercise subject to officers meeting required conditions as per Recruitment Rules; and same is being carried out regularly including drawing up of panel. (ii) Recruitment under DR is carried out as per UPSC/SSC schedule.
	Director	-	08	
	SA	05	-	
	Dy.SA	46	24	
	ASA	-	45	
Conservation Cadre	Director	01	01	(i) Departmental promotion is a regular exercise subject to officers meeting required conditions as per Recruitment Rules; and same is being carried out regularly including drawing up of panel. (ii) Recruitment under DR is carried out as per UPSC/SSC schedule.
	Dy.SAE	20	-	
	ASAE	-	33	
	Sr.CA	122	-	
	CA	346	88	
Science Cadre	Director	-	01	(i) Departmental promotion is a regular exercise subject to officers meeting required conditions as per Recruitment Rules; and same is being carried out regularly including drawing up of panel. (ii) Recruitment under DR is carried out as per UPSC/SSC schedule.
	SAC	-	02	
	DY.SAC	01	05	
	ASAC	-	06	
	AAC	28	-	
Epigraphy Cadre	Dy. SE (Dravidian Inscriptions)	01	01	(i) Departmental promotion is a regular exercise subject to officers meeting required conditions as per Recruitment Rules; and same is being carried out regularly including drawing up of panel. (ii) Recruitment under DR is carried out as per UPSC/SSC schedule.
	ASE (Sanskrit Inscriptions)		01	
	AE (Dravidian Inscriptions)	02	-	
Horticulture Cadre	Director Horticulture	-	01	(i) Departmental promotion is a regular exercise subject to officers meeting required conditions as per Recruitment Rules; and same is being carried out regularly including drawing up of panel. (ii) Recruitment under DR is carried out as per UPSC/SSC schedule.
	Chief Horticulturist	-	01	
	Dy. Superintending Horticulturist	02	01	
	ASH	-	01	
	SHA	-	08	
	HA. Gr.I	06	06	
	HA. Gr.II	45	-	

Drawing Cadre	Sr. Draftsman	-	05	(i) Departmental promotion is a regular exercise subject to officers meeting required conditions as per Recruitment Rules; and same is being carried out regularly including drawing up of panel. (ii) Recruitment under DR is carried out as per UPSC/SSC schedule.
	Draftsman Gr.I	-	03	
	Draftsman Gr.II	05	02	
Surveyor Cadre	Surveyor Officer	-	03	(i) Departmental promotion is a regular exercise subject to officers meeting required conditions as per Recruitment Rules; and same is being carried out regularly including drawing up of panel. (ii) Recruitment under DR is carried out as per UPSC/SSC schedule.
	Surveyor Gr.I	07	03	
	Surveyor Gr.II	06	-	
Library Cadre	Lib & Inf. Officer	-	02	(i) Departmental promotion is a regular exercise subject to officers meeting required conditions as per Recruitment Rules; and same is being carried out regularly including drawing up of panel. (ii) Recruitment under DR is carried out as per UPSC/SSC schedule.
	Library & Inf. Assistant	18	-	
Administrative Cadre	AO	-	03	(i) Departmental promotion is a regular exercise subject to officers meeting required conditions as per Recruitment Rules; and same is being carried out regularly including drawing up of panel. (ii) Recruitment under DR is carried out as per UPSC/SSC schedule.
	JAO	-	26	
	UDC	-	45	
	LDC	109	-	
Stenographer Cadre	Steno Gr.I	06	-	Recruitment under DR is carried out as per UPSC/SSC schedule.
	Steno Gr.II	07	-	
Photographer Cadre	Senior Photographer	03	12	(i) Departmental promotion is a regular exercise subject to officers meeting required conditions as per Recruitment Rules; and same is being carried out regularly including drawing up of panel. (ii) Recruitment under DR is carried out as per UPSC/SSC schedule.
	Photographer Gr. I	01	02	
	Photographer Gr. II	03	-	
MTS	MTS	2321	-	Recruitment under DR is carried out as per UPSC/SSC schedule.

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 487

उत्तर देने की तारीख : गुरुवार, 02 दिसंबर, 2021

11 अग्रहायण, 1943 (शक)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) में रिक्त पद

487. श्री संभाजी छत्रपती:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या विभिन्न श्रेणियों के तहत 30 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से जुड़े दायित्वों के निर्वहन को प्रभावित कर रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो पदोन्नति और सीधी भर्ती कोटा के तहत आने वाले रिक्त पदों का पद-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत पदोन्नति कोटा पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है; और
- (घ) पदोन्नति कोटा पदों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं, जबकि 2017 का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपी एंड टी) के दिशानिर्देश मौजूद हैं, जिसमें विभागीय अधिकारियों का समयबद्ध पदोन्नति के लिए पूर्ववर्ती वर्ष में रिक्तियों की प्रत्याशा में डीपीसी के माध्यम से विभागीय अधिकारियों का पैनल बनाने की कवायद शुरू करने के लिए कहा गया है?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

- (क) : (i) पदोन्नति कोटा के तहत 5 प्रतिशत पद रिक्त हैं।
(ii) सीधी भर्ती कोटा के तहत 30 प्रतिशत पद रिक्त हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरे जाते हैं।
- (ख) और (ग) : पदोन्नति और सीधी भर्ती कोटा के तहत आने वाले रिक्त पदों का पद-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।
- (घ) : पदोन्नति कोटा में पद इसलिए रिक्त हैं क्योंकि अधिकारी पदोन्नति के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी नहीं की है।

राज्य सभा में दिनांक 02.12.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 487 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

पद का नाम	कुल रिक्त पद		समय सीमा	
	सीधी भर्ती	पदोन्नति		
पुरातत्व संवर्ग	संयुक्त महानिदेशक	03	-	(i) भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाले अधिकारियों के लिए विभागीय पदोन्नति एक नियमित प्रक्रिया है; और इसे नियमित रूप से किया जा रहा है जिसमें पैनल बनाना शामिल है। (ii) सीधी भर्ती के तहत भर्ती संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार की जाती है।
	निदेशक	-	08	
	अधीक्षण पुरातत्वविद्	05	-	
	उप अधीक्षण पुरातत्वविद्	46	24	
	सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद्	-	45	
संरक्षण संवर्ग	निदेशक	01	01	(i) भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाले अधिकारियों के लिए विभागीय पदोन्नति एक नियमित प्रक्रिया है; और इसे नियमित रूप से किया जा रहा है जिसमें पैनल बनाना शामिल है। (ii) सीधी भर्ती के तहत भर्ती संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार की जाती है।
	उप अधीक्षण पुरातत्वविद् अभियंता	20	-	
	सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् अभियंता	-	33	
	वरिष्ठ संरक्षण सहायक	122	-	
	संरक्षण सहायक	346	88	
विज्ञान संवर्ग	निदेशक	-	01	(i) भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाले अधिकारियों के लिए विभागीय पदोन्नति एक नियमित प्रक्रिया है; और इसे नियमित रूप से किया जा रहा है जिसमें पैनल बनाना शामिल है। (ii) सीधी भर्ती के तहत भर्ती संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार की जाती है।
	अधीक्षण पुरातत्वविद् रसायनज्ञ	-	02	
	उप अधीक्षण पुरातत्वविद् रसायनज्ञ	01	05	
	सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् रसायनज्ञ	-	06	
	सहायक पुरातत्वविद् रसायनज्ञ	28	-	
पुरालेख संवर्ग	उप अधीक्षण पुरालेखविद् (द्रविड उत्कीर्ण लेख)	01	01	(i) भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाले अधिकारियों के लिए विभागीय पदोन्नति एक नियमित प्रक्रिया है; और इसे नियमित रूप से किया जा रहा है जिसमें पैनल बनाना शामिल है। (ii) सीधी भर्ती के तहत भर्ती संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार की जाती है।
	सहायक अधीक्षण पुरालेखविद् (संस्कृत उत्कीर्ण लेख)	-	01	
	सहायक पुरालेखविद् (द्रविड उत्कीर्ण लेख)	02	-	
बागवानी संवर्ग	निदेशक, बागवानी	-	01	(i) भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाले अधिकारियों के लिए विभागीय पदोन्नति एक नियमित प्रक्रिया है; और इसे नियमित रूप से किया जा रहा है जिसमें पैनल बनाना शामिल है। (ii) सीधी भर्ती के तहत भर्ती संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार की जाती है।
	मुख्य उद्यानविद्	-	01	
	उप अधीक्षण उद्यानविद्	02	01	
	सहायक अधीक्षण उद्यानविद्	-	01	
	वरिष्ठ उद्यानविद् सहायक	-	08	
	सहायक उद्यानविद् ग्रेड I	06	06	
	सहायक उद्यानविद् ग्रेड II	45	-	

ड्राइंग संवर्ग	वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन	-	05	(i) भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाले अधिकारियों के लिए विभागीय पदोन्नति एक नियमित प्रक्रिया है; और इसे नियमित रूप से किया जा रहा है जिसमें पैनल बनाना शामिल है। (ii) सीधी भर्ती के तहत भर्ती संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार की जाती है।
	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड I	-	03	
	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड II	05	02	
सर्वेक्षक संवर्ग	सर्वेक्षक अधिकारी	-	03	(i) भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाले अधिकारियों के लिए विभागीय पदोन्नति एक नियमित प्रक्रिया है; और इसे नियमित रूप से किया जा रहा है जिसमें पैनल बनाना शामिल है। (ii) सीधी भर्ती के तहत भर्ती संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार की जाती है।
	सर्वेक्षक ग्रेड I	07	03	
	सर्वेक्षक ग्रेड II	06	-	
पुस्तकालय संवर्ग	पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	-	02	(i) भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाले अधिकारियों के लिए विभागीय पदोन्नति एक नियमित प्रक्रिया है; और इसे नियमित रूप से किया जा रहा है जिसमें पैनल बनाना शामिल है। (ii) सीधी भर्ती के तहत भर्ती संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार की जाती है।
	पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	18	-	
प्रशासनिक संवर्ग	प्रशासनिक अधिकारी	-	03	(i) भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाले अधिकारियों के लिए विभागीय पदोन्नति एक नियमित प्रक्रिया है; और इसे नियमित रूप से किया जा रहा है जिसमें पैनल बनाना शामिल है। (ii) सीधी भर्ती के तहत भर्ती संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार की जाती है।
	कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	-	26	
	उच्च श्रेणी लिपिक	-	45	
	अवर श्रेणी लिपिक	109	-	
आशुलिपिक संवर्ग	आशुलिपिक ग्रेड I	06	-	सीधी भर्ती के तहत भर्ती संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार की जाती है।
	आशुलिपिक ग्रेड II	07	-	
फोटोग्राफर संवर्ग	वरिष्ठ फोटोग्राफर	03	12	(i) भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाले अधिकारियों के लिए विभागीय पदोन्नति एक नियमित प्रक्रिया है; और इसे नियमित रूप से किया जा रहा है जिसमें पैनल बनाना शामिल है। (ii) सीधी भर्ती के तहत भर्ती संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार की जाती है।
	फोटोग्राफर ग्रेड I	01	02	
	फोटोग्राफर ग्रेड II	03	-	
एमटीएस	एमटीएस	2321	-	सीधी भर्ती के तहत भर्ती संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार की जाती है।